Forest Department
Uttarakhand

E-TENDER DOCUMENT
FOR

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा अन्तर्गत पनुवानौला मोटर रोड लीसा डिपों हेतु लीसा फसल वर्ष 2024 के लिए खाली टिनों की आपूर्ति करना

कुमाऊँ मण्डल में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

ई–निविदा सम्बन्धी विवरण

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा (सं0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	धरोहर राशि	निविदा मूल्य
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा पनुवानौला मोटर रोड लीसा डिपों लीसा फसल वर्ष–2024 के लिए खाली टिनों हेतु आपूर्ति करना।	20000	60 दिन	रू0 48000.00	1500+18% GST

-: Key Dates :-

S.No.	Activity	Date	Time
1	Date of online publication	13-01-2024	03:00 PM
2	Bid document download start date	13-01-2024	03:30 PM
3	Bid submission start date	13-01-2024	04:00 PM
4	Bid submission end date	23-01-2024	05:00 PM
5	Bid opening date	24-01-2024	11:30 AM

कुमाऊँ मण्डल के सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,अल्मोड़ा अन्तर्गत पनुवानौला मोटर रोड लीसा डिपों में खाली टिन क्रय की ई–निविदा सम्बन्धी प्रस्ताव का दस्तावेज
लीसा फसल वर्ष 2024

(Bidding Document for E- Tender Enquiry for Procurement of Empty Tins for Resin Harvest year 2024 in PanuwanaulaLeesa Depot)

अध्याय–1
निविदादाताओं हेतु निर्देश

कुमाऊँ मण्डल के सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अर्न्तगत पनुवानौला मोटर रोड लीसा डिपों में लीसा फसल वर्ष 2024 में उपयोग हेतु **धुले एवं साफ खाली टिनों के** क्रय/आपूर्ति के लिये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेन्ट) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न शर्तो के अधीन ई– निविदायें आमंत्रित की जाती है –

1 सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा पनुवानौला मोटर रोड लीसा डिपों हेतु रिक्त टिनों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 1500.00 (पन्द्रह सौ) + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 (रू0 270.00) मात्र का भुगतान के पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट, जो कि वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पक्ष मे निरूपित व Payble at State Bank Of India, Almora हो, जमा करके **वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त के पद नाम से जारी हो, प्रत्येक निविदा फार्म के साथ लगाना अनिवार्य होगा। ई–निविदा की शर्तें एवं फार्म का नमूना www.uktenders.gov.inतथा वन विभाग की वैबसाइटwww.forest.uk.gov.inसे भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।**

निविदा प्रपत्र वैबसाईट से डाउनलोड किये जाने पर निविदा प्रपत्र के मूल्य से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट भारतीय डाक एवं तार विभाग के रजिस्ट्र्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से वन संरक्षक कार्यालय– उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, धार की तुनी, सिटोली, अल्मोड़ा में निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा प्रपत्र का मूल्य मात्र बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के नाम से जारी किया गया हो तथा Payble at State Bank Of India, Almora**हो, में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्य किसी रूप में नही।**

ई–निविदा में तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेख/दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज	क्रम सं0	अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज
1	निविदा शुल्क व जी0एस0टी0 के दो पृथक–पृथक डिमांड बैंक ड्रॉफ्ट (रू0 1500/– एवं रू0 270/–)	7	पॉवर ऑफ अटार्नी (यदि लागू हो)
2	निविदा विवरण **अध्याय 3 की तालिका 3.1** में दिये गये विवरणानुसार धरोहर धनराशि जमा की जानी अनिवार्य होगी।	8	आधार कार्ड की प्रति
3	वित्तीय हैसियत प्रमाण पत्र (निर्दिष्ट संविदा मूल्य के अनुरूप वित्तीय हैसियत प्रमाण पत्र) एवं कार्यपूर्ण होने तक हैसियत प्रमाण पत्र में वर्णित सम्पति आदि को न बेचेगा और न गिरवी रखेगाा का शपथ पत्र (10 रू0 के स्टाम्प में नोटराईज्ड किया हुआ)	9	पैन कार्ड की प्रति
4	निविदा की वैधता हेतु अन्डरटेकिंग, जो 100.00 रू मात्र का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 1.00 रू0 के रैवेन्यू स्टाम्प पर निविदादाता के हस्ताक्षर सहित 60 दिन वैधता इंगित करते हुए प्रमाण पत्र।	10	जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र
5	उद्योग विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र	11	निविदादाता को इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र कि ''केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा निविदा प्रक्रिया में ब्लेक लिस्ट न किया गया हो'' रू0–10 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
6	पार्टनरशिप डीड (यदि लागू हो)	12	**निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण ई–निविदा दस्तावेज प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अन्डरटेकिंग फार्म हस्ताक्षरित अपलोड किया जाना अनिवार्य है।**
13	तकनीकी बिड फार्म प्रोफार्मा हस्ताक्षरित		
नोट :–उपरोक्त तारांकित दस्तावेजों के सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण नीचे अंकित किया गया है। तकनीकी बिड मे योग्य (क्वालीफाईड) निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड (फाइनेन्सियल बिड) खोली जायेगी।			

2 **निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि यदि चाहें तो** निविदाऐं खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

3 सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

4 **निविदा प्रतिभूति** (Earnest Money) **कीधनराशि** :–

4.1 प्रतिभूति धनराशि (Earnest Money) निर्धारित है जोइस दस्तावेज के **अध्याय 3 के तालिका 3.1 में** अंकित है।

4.2 **तकनीकी** अर्हता पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि निविदादाता द्वारा **तालिका 3.1 में** सूचित निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होगी।

4.3 **प्रतिभूति धनराशि जमा करने का तरीका** – निविदादाता द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि **स्टेट बैंक आफ इण्डिया, अल्मोड़ा पर देय एफ0डी0आर0**, जो वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पदनाम पर निरूपित हो, के रूप में ही मान्य होगी, को तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है, **अन्य किसी भी रूप में जमा प्रतिभूति की धनराशि मान्य नहीं होगी और ऐसी स्थिति में निविदा में कोई विचार नहीं किया जायेगा।**

5. **ई–निविदा में वित्तीय बिड के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेख/दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है–**

I. ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप **BOQ (Bill of quantity)** पर निविदा धनराशि (वित्तीय बिड) का विवरण **MS EXCEL SHEET** में अंको में अंकित करना अनिवार्य होगा।

II. **यदि वित्तीय बिड से सम्बन्धित कोई दस्तावेज तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाता है तो ऐसी स्थिति मे निविदा को निरस्त माना जायेगा।**

III. निविदा मे स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि निविदादाता/फर्म के द्वारा सामग्री का मूल्य मय ढुलान प्रति खाली टिन/प्रति रूपये है।

IV. खाली टिनों की दरें सम्बन्धित क्षेत्र तक ढुलान मय लोडिंग–अनलोडिंग सहित किया जायेगा।

6 **प्रतिभूति धनराशि की वापसी :–**सफल निविदादाताओं के द्वारा ठेके के कागजात हस्ताक्षर होने के उपरान्त ही असफल निविदादाताओं की प्रतिभूति लौटाये जाने पर विचार किया जायेगा।

7 जी0एस0टी0 एवं आयकर विभाग में पंजीकृत निविदादाता ही निविदा डालने हेतु पात्र होंगे।

8 निविदा प्रपत्र के साथ **पिछले तीन वर्षो का आयकर विवरण** व निविदादाता को निविदा फार्म में जी0एस0टी0 नम्बर तथा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9 निविदादाता की फर्म का टर्न ओवर 25.00 लाख से अधिक होना चाहिए।

––––0000––––

<u>अध्याय–2</u>

<u>अनुबन्ध की शर्तें एवं प्रतिबन्ध</u>

1 यह निविदा पृच्छा प्रस्ताव उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्युरमेंट) नियमावली, 2017 में निर्दिष्ठ दो निविदाओं वाली प्रणाली के अनुसार आवेदित किया जा रहा है। निविदादाता द्वारा **तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें अलग–अलग** दी जानी अनिवार्य है।

इस दो निविदाओं वाली प्रणाली की निविदा की प्रक्रिया के अधीन पहले **तकनीकी निविदा** को सक्षम समिति/प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर खोला जायेगा। निविदादाता द्वारा सफल तकनीकी निविदा हेतु इस पृच्छा प्रस्ताव के **अध्याय 4 में सूचित सभी विशिष्टयों की पूर्ति** किया जाना आवश्यक है। समिति/प्राधिकारी द्वारा पूर्व परिभाषित **विशिष्टताओं** की पूर्ति के सम्बन्ध में निविदादाता द्वारा दी गयी सहमति/विवरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत **तकनीकी निविदा** का मूल्यांकन किया जायेगा और तकनीकी दृष्टि से अर्ह आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी।

वित्तीय निविदा केवल उन्ही निविदादाताओं की खोली जाऐगी, जिन्होने तकनीकी निविदा में अर्हता प्राप्त की है। **तकनीकी निविदा में अपात्र पाये गये निविदादाताओं के वित्तीय निविदाऐं नही खोली जाऐंगी।**

2 उक्त लीसा डिपों की पूर्ण मांग हेतु ही निविदा स्वीकार की जायेगी, आंशिक आपूर्ति हेतु दी गयी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

3 निविदादाता द्वारा निविदा के साथ **केवल अल्मोड़ा स्थित राष्ट्रीयकृत बैक से**, उक्त लीसा डिपों हेतु अंकित नेक जमानत (Earnest Money) की धनराशि की एफ0डी0आर0, **जो वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पदनाम निरूपित हो**, वित्तीय बिड के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

4 **कार्यपूर्ति प्रतिभूति :–** संविदा के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता, जिसके पक्ष में निविदा स्वीकृत की गई हो, को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आपूर्ति आदेश जारी करने से पूर्व, जमानत के रूप में, **संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत**, धरोहर धनराशि सम्बन्धित प्रभाग में अनिवार्य रूप से जमा की जानी होगी।

उक्त कार्य हेतु सफल निविदादाता से अनुबन्ध सम्बन्धित वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा सप्लाई/आपूर्ति आदेश भी सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा जारी किया जायेगा। निविदादाता द्वारा आपूर्ति आदेश से पूर्व जमा की जाने वाली यह धरोहर धनराशि वाणिज्यिक बैंक से निर्गत आदाता के नाम (एकाउन्टपेई) डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारन्टी, अथवा जिस स्वरूप में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम अधिकारी चाहें, जमा की जायेगी।

कार्यादेश तथा निविदा शर्तो के अनुसार आपूर्ति न करने पर **जमानत स्वरूप जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं सम्बन्धित निविदादाता का नाम काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।**

5 उक्त लीसा डिपों हेतु टिनों की आपूर्ति की **दरें प्रति टिन की दर से** समस्त देय करों को सम्मिलित करते हुए **एफ0ओ0आर0 डेस्टीनेशन** दी जांय। आपूर्ति के विरूद्ध नियमानुसार देय समस्त कर निविदादाता द्वारा ही दिये जाने हैं अतः वे भलीभांति समस्त देय करों की जानकारी प्राप्त कर तद्नुसार समस्त करों को सम्मिलित करते हुए अपनी दरें देवें। आपूर्ति एवं भुगतान के पश्चात भी किसी भी समय यदि किसी अदेय कर की जानकारी विभाग को होती है तो इस अदेय कर के भुगतान की जिम्मेदारी भी निविदादाता की होगी।

6 निविदादाता को **अध्याय 4 में सूचित विशिष्टयों के अनुरूप** धुले एवं साफ टिनों की आपूर्ति निश्चित डिपो एवं स्थलों में की जानी होगी। आपूर्ति आदेश से सम्बन्धित समस्त टिन निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप होने चाहिये। टिनों के निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप न होने अथवा बिना धुले एवं गन्दे टिन प्राप्त होने पर आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। सम्बन्धित कार्य हेतु **भुगतान सम्पूर्ण आपूर्ति के विशिष्टयों के अनुरुप पूर्ण हो जाने के पश्चात ही किया जायेगा।**

7 वन विभाग के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निर्धारित स्थल पर प्राप्त धुले एवं साफ खाली टिनों की पासिंग निर्धारित मानकों के अनुसार की जायेगी। पासिंग में अस्वीकृत खाली टिन आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने व्यय पर वापस ले जाना होगा।

8 कच्चे माल की दरों में वृद्वि आदि की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी तथा निविदादाता द्वारा दी गई दरें दृढ़ रहेगी। **प्राइस वैरीएशन क्लाज लागू** नहीं होगे।

9 सप्लायर को आपूर्ति आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर खाली टिनों की आपूर्ति प्रारम्भ कर ई–निविदा सम्बन्धी विवरण में वर्णित अवधि अनुसार आपूर्ति पूर्ण करनी होगी।

10 मूल्य का भुगतान निरीक्षण तथा पासिंग (Passing) में स्वीकृत माल के प्राप्त होने के पश्चात ही आपूर्ति आदेश जारी करने वाले अधिकारी द्वारा बजट उपलब्धता के अनुसार यथासमय किया जायेगा।

11 **निविदादाता की वित्तीय हैसियत की अर्हता** – निविदा दाता को विगत तीन वर्षो का आय व्यय दर्शाने वाली बैंक की प्रमाणित बैलेंस सीट (Balance Sheet) व टर्न ओवर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी। इस मानक को इस निविदा दस्तावेज के **संलग्नक – 1 में दिये गये तकनीकी निविदा प्रस्ताव के प्रारूप** के अनुसार तकनीकी निविदा में प्रस्तुत करना होगा।

12 **निविदादाता की वित्तीय हैसियत की अर्हता का निर्धारण** – निविदादाता द्वारा प्रस्तुत पिछले तीन वर्षो में बैंक द्वारा जारी प्रमाणित बैलेंस सीट व टर्न ओवर के आधार पर उसकी हैसियत का आंकलन किया जायेगा। इस बैलेंस सीट व टर्न ओवर विवरण के आधार पर आंकलित

निविदादाता की हैसियत उसके द्वारा सभी पैकेज हेतु सूचित निविदा दरों के अनुरूप आंकलित कुल संविदा मूल्य से अधिक होनी चाहिये।

निविदादाता द्वारा बैलेंस सीट/टर्न ओवर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन अभिलेखों की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है व तद्नुसार ही इसका उल्लेख प्रत्येक पैकेज तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र में किया जाय।

13 निविदादाता को वित्तीय अर्हता पूर्ण करने हेतु आयकर विभाग से जारी Permanent Account Number,वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी टिन नम्बर एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या तकनीकी व वित्तीय निविदा में अंकित करना अनिवार्य होगा।

14 स्टैम्प ड्यूटी, जी0एस0टी0, आयकर आदि सभी देयकर आपूर्ति कर्ता से नियमानुसार वसूल किया जायेगा।

15 उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी विभाग द्वारा काली सूचीबद्ध फर्म/संस्था/व्यक्ति/व्यावसायिक संस्थान/गैर सरकारी संगठन द्वारा दी गयी निविदा को अर्ह नही माना जायेगा। यदि उक्त सूचना निविदा मूल्यांकन अथवा चयन के बाद प्राप्त होती है तब भी उस संस्था की अर्हता समाप्त मानी जायेगी और सभी प्रकार की प्रतिभूति धनराशि जब्त कर राजकीय राजस्व में जमा कर दी जायेगी।

16 **अध्याय 3 की तालिका 3.1 में** अंकित लीसा डिपुओं के विरूद्ध दर्शायी गयी खाली टिनों की संख्या/ आवश्यकता अनुमानित है तथा उसमें कमी या वृद्धि हो सकती है, जो आपूर्तिकर्ता को मान्य होगी। सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही आपूर्ति आदेश जारी करेंगे।

17 ई–निविदा मे प्रतिभाग करने पर वेबसाइट मे तकनीकी खराबी आदि से होने वाली कठिनाई हेतु विभाग जिम्मेदार नही होगा। यदि निर्धारित तिथि को सर्वर/इन्टरनेट कनेक्शन मे खराबी एवं सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण निविदा नही खोली गयी तो निविदा अगले कार्यदिवस मे खोली जायेगी।

18 दो या दो से अधिक निविदादाताओं से समान धनराशि (H1) के वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त होने पर निविदा समिति द्वारा खुली बोली/लॉटरी (पर्ची) के माध्यम से सफल निविदादाता का चुनाव किया जायेगा, जो सभी पक्षों को मान्य होगा।

19 निविदादाता को निविदा में अपना पूरा नाम, पता, पिता का नाम, दूरभाष संख्या आदि अंकित करना अनिवार्य होगा। भविष्य में दिये गये पते पर पोस्टल डाक द्वारा निविदा प्रतिभूति प्राप्त न होने पर यह कार्यालय उत्तरादायी नहीं होगा।

20 निविदा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर मान्य नहीं होगी।

21 कार्यादेश किसी अन्य ठेकेदार/पार्टी/संस्था के नाम पर स्थानान्तरित नही किया जायेगा।

22 फर्म द्वारा दी गई निविदा में दी गई न्यूनतम दरें कम से कम 90 दिन के लिए मान्य होगी। अधोहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार होगा कि उक्त अवधि में निविदादाता को अनुबन्ध के लिए किसी भी समय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर सके।

23 फर्म का उत्तरदायित्व होगा कि वह आपूर्ति करने हेतु ऐसे श्रमिकों की सेवा लेंगें जो किसी संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त न रहा हो, अन्यथा की स्थिति मे समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

24 अन्तिम भुगतान हो जाने के उपरान्त भी यदि कोई राजकीय बकाया वसूली अवशेष रह जाती है तो उसके भुगतान हेतु संबंधित फर्म बाध्य होगी।

25 फर्म को भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, कॉन्ट्रेक्ट लेबर (Abolition) अधिनियम 1970 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्राविधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

26 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एंव यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना होगा।

27 **यह ई–निविदा एवंई–निविदा से सम्बन्धित कार्यादेश पूर्णतः बजट उपलब्धता/उच्च स्तर से टेण्डर अनुमोदन एवं वांछित स्वीकृतियों के अधीन होगी।**

28 विभागीय हित मे राजकीय कार्यो के सम्पादन हेतु अन्य यथोचित शर्तें, जो आवश्यक होगी वो सफल निविदादाता को मान्य होगी।

29 उक्त कार्य निर्धारित अवधि मे पूर्ण न करने पर अर्थदण्ड का प्राविधान होगा, जिसे कि सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा, जिस पर फर्म कोई आपत्ति नही होगी।

30 किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार इस हेतु गठित समिति की संस्तुति पर सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। विषम परिस्थितियों में निविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

31 आवश्यकता पड़ने पर विभाग स्वीकृत दर की सीमा तक किसी भी विक्रेता से खाली टिन खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

32 किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निस्तारण उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त आर्बीटेशन एक्ट के प्राविधानों के अनुसार होगा।

33 सफल निविदादाता को आपूर्ति आदेश जारी करने से पूर्व सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं आपूर्तिकर्ता के मध्य इस दस्तावेज के **अध्याय 5 में** उल्लिखित अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार हस्ताक्षरित अनुबन्ध की शर्तो का पूर्ण अनुपालन करने की बाध्यता निविदादाता की होगी।

34 दस्तावेज के **अध्याय–1** में दिये गये निर्देश का उल्लंघन करने वाले निविदादाता एवं निविदा को अर्ह नही माना जायेगा।

35 सफल निविदादाता /आपूर्तिकर्ता को टिन आपूर्ति के उपरान्त भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करते समय बिल में G.S.T की धनराशि एवं दर का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

––––––000000–––––

अध्याय–3

सामग्री मांग का विवरण

3.1 इन निविदा पृच्छा प्रस्ताव हेतु खाली टिनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में कुमाऊँ मण्डल के सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा अन्तर्गत पनुवानौला मोटर रोड लीसा डिपों हेतु कुल 20000 रिक्त टिनों की आपूर्ति निम्न प्रकार की जानी हैः–

तलिका–3.1

प्रभाग का नाम	पैकेज (लीसा डिपो) का नाम	आपूर्ति किये जाने वाले रिक्त टिनों की अनुमानित संख्या	रेल हैड से स्थल तक की दूरी (किमी0में)	नेक जमानत की धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4	5
सिविल सोयम अल्मोड़ा	पनुवानौला लीसा डिपो	20000	125	48000.00

अध्याय–4,

आपूर्ति किये जाने वाले टिनों की विशिष्टयां

4.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले टिनों की विशिष्टयों का विवरण निम्न प्रकार **तालिका** में दिया जा रहा है। आपूर्तिकर्ता इन विशिष्टयों के अनुरूप आपूर्ति हेतु बाध्य होंगे।

तालिका 4.1

EMPTY TINS SPECIFICATION

क्र0सं0	क्रय किये जाने वाली सामग्री का नाम	सामग्री की विशिष्ठता एवं मानक
1	खाने का तेल, घी या मिट्टी तेल के खाली टिन	1. **खाली टिन का माप** :– 320x 228x 228 millimetre 2. **टिन के पूर्व उपयोग की स्थिति** :– टिन पूर्व में केवल एक बार उपयोग किया गया हो। 3. **टिन के उपरी भाग की स्थिति की विशिष्ठता** :– **3.1** खाली टिन के ऊपरी भाग पर 5 से0मी0 व्यास का एक छेद हो जिसके चारो तरफ दुबारा सील लगाने के निशान न हो। **3.2** टिन को उठानें के लिए कुण्डा/हैण्डिल लगा हो। 4. **टिन से लिकेज नही होने की विशिष्ठता** :– खाली टिन में ऊपरी भाग पर एक छेद को छोड़कर अन्य कोई छेद या लिकेज नही होनी चाहिए। 5. **टिन पर एनोडायजिग/पालिश की स्थिति** :– टिन में जंग नही लगा होना चाहिए। 6. **टिन में लीसा भर लेने की क्षमता** :– टिन पिचका हुआ नही हो। 7. **टिन की अदरूनी एवं बाहरी सतह की सफाई की स्थिति** :– टिन अन्दर व बाहर से कास्टिक सोडा से साफ किया गया हो। 8. **टिनों की आपूर्ति का प्रस्ताव** –प्रत्येक पैकेज हेतु पूर्ण आपूर्ति। 9. टिन के बाहर साईड के एक फलक (Facat) पर निम्न विवरण स्थायी रूप से स्टेंसिल से अंकित किया जायेगा– **1**– लीसा फसल वर्ष 2024 **2**– प्रभाग का नाम

		3– रेन्ज का नाम 4– डिपो का नाम 5– कूप संख्या

नोट :– बिन्दु संख्या 9 में सूचित स्टेंसिल में **डिपो का नाम व कूप संख्या के** अतिरिक्त शेष सभी विवरण भी आपूर्तिकर्ता द्वारा अंकित किये जाने हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपूर्ति आदेश जारी करते समय प्रत्येक पैकेज/डिपो के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण आपूर्तिकर्ता को सूचित किया जाय।

(प्रसन्न कुमार पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

<u>पत्रांक – 1757/10–6, दिनांक, अल्मोड़ा 11/01/2024</u>

<u>प्रतिलिपि–</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ उत्तराखण्ड।
4. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0सेल उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड। ।
6. समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समिति के सदस्य।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।

(प्रसन्न कुमार पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा

Undertaking

Having read all the mentioned terms and conditions including Schedule of Work and Specification carefully and having agreed to them fully and un-conditionally my financial bid is submitted as above.

Dated. Signature of theFirm/Supplier

Place:-

अध्याय–5
अनुबन्ध का प्रारूप

[The successful Bidder shall fill in this form in accordance with the instructions indicated on a Non- Judicial Stamp paper of value decided by the concerned Divisional Forest Officer on the basis of contract amount]

THIS CONTRACT AGREEMENT is made
the *[insert: **number**]* day of *[insert: **month**], [insert: **year**]*.

BETWEEN

(1) *[insert complete name of Purchaser namely the concerned Divisional Forest Officer],. of the Government of Uttarakhand* and having its office at *[insert address of Forest Division]* (hereinafter called "the Purchaser"), and

(2) *[insert name of Supplier]*, having its office at *[insert: address of Supplier]* (hereinafter called "the Supplier").

WHEREAS the Purchaser invited bids for supply of empty tins for collection of Chir pine resin and has accepted a Bid by the Supplier for the supply of those Goods and Services in the sum of *[insert Contract Price in words and figures,]* (hereinafter called "the Contract Price").

NOW THIS AGREEMENT WITNESSES AS FOLLOWS:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract issued by Conservator of Forests, North Kumaon circle at Almora, Forest Department, Government of Uttarakhand.
2. The following documents shall constitute the Contract between the Purchaser and the Supplier, and each shall be read and construed as an integral part of the Contract:
   (a) This Contract Agreement
   (b) Bidding Document for Tender enquiry for procurement of Empty Tins for year 2024 in Kumaon region.
   (c) The Supplier's Bid and original Price Schedules
   (d) The Purchaser's Notification of Award
   (e) *[Add here any other document(s)]*
3. This Contract shall prevail over all other Contract documents. In the event of any discrepancy or inconsistency within the Contract documents, then the documents shall prevail in the order listed above.
4. In consideration of the payments to be made by the Purchaser to the Supplier as hereinafter mentioned, the Supplier hereby covenants with the Purchaser to provide the Goods and Services and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
5. The Purchaser hereby covenants to pay the Supplier in consideration of the provision of the Goods and Services and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of Uttarakhand on the day, month and year indicated above.

For and on behalf of the Purchaser

Signed: *[insert signature]*
in the capacity of *[insert name of Divisional Forest Officer]*
in the presence of *[insert identification of official witness]*

For and on behalf of the Supplier

Signed: *[insert signature of authorized representative(s) of the Supplier]*
in the capacity of *[insert appropriate designation of the representative of Supplier]*
in the presence of *[insert identification of official witness]*

संलग्नक – 1

तकनीकी निविदा जमा करने का प्रपत्र

लीसा फसल वर्ष 2024

कुमाऊँ मण्डल के सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा अन्तर्गत पनुवानौला लीसा डिपों में खाली टिनों की आपूर्ति हेतु विवरण

1.निविदादाता का नाम व पताः– ....

....

....

2.निविदा प्रपत्र के मूल्य से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्टविवरण–(बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें)

i बैंक ड्राफ्ट संख्या व धनराशि–

ii बैंक का नाम –

3. वाणिज्यक कर/जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकरण/टिन नम्बरविवरण –(पंजीकरण संलग्न करें)

4. इनकम टेक्स का पैन नं0 – (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)

(Permanent Account Number):–

5. आपूर्ति किये जाने वाले टिनों की विशिष्टियां –

अपेक्षित तकनीकी विशिष्टियां	आपूर्ति किये जाने वाले खाली टिनों की विशिष्टियां
1	2
1. **खाली टिन का माप** :– 320X 228X 228 millimetre	
2. **टिन के पूर्व उपयोग की स्थिति :–** टिन पूर्व में केवल एक बार उपयोग किया गया हो।	
3. **टिन के उपरी भाग की स्थिति की विशिष्ठता :–**	
3.1खाली टिन के ऊपरी भाग पर 5 से0मी0 व्यास का एक छेद हो जिसके चारो तरफ दुबारा सील लगाने के निशान न हो।	
3.2 टिन को उठानें के लिए कुण्डा/हैण्डिल लगा हो।	
4. **टिन से लिकेज नही होने की विशिष्ठता :–** खाली टिन में ऊपरी भाग पर एक छेद को छोड़कर अन्य कोई छेद या लिकेज नही होनी चाहिए।	

5. **टिन पर एनोडायजिग/पालिश की स्थिति :–** टिन में जंग नही लगा होना चाहिए।	
6. **टिन में लीसा भर लेने की क्षमता :–** टिन पिचका हुआ नही हो।	
7. **टिन की अदरूनी एवं बाहरी सतह की सफाई की स्थिति :–** टिन अन्दर व बाहर से कास्टिक सोडा से साफ किया गया हो।	
8. **टिनों की आपूर्ति का प्रस्ताव –**प्रत्येक पैकेज हेतु पूर्ण आपूर्ति।	
9. टिन के बाहर साईड के एक फलक (Facat) पर निम्न विवरण स्थायी रूप से स्टेंसिल से अंकित किया जायेगा– 1– लीसा फसल वर्ष 2024 2– प्रभाग का नाम 3– रेन्ज का नाम 4– डिपो का नाम 5– कूप संख्या	

6. पैकेज से सम्बन्धित नेक जमानत का विवरण –(एफ0डी0आर0 संलग्न करें)

i एफ0डी0आर0 संख्या एवं दिनांक –

ii एफ0डी0आर0 की धनराशि –

iii बैंक का नाम –

7. निविदादाता की हैसियत से सम्बन्धित विवरण – पिछले तीन वर्षो का वैलेंस सीट/टर्न ओवर/आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करें।

i टर्न ओवर विवरण – **वर्ष 2021–22**
वर्ष 2022–23
वर्ष 2023–24

ii वैलेंस सीट विवरण – **वर्ष 2021–22**
वर्ष 2022–23
वर्ष 2023–24

iii जमा आयकर विवरण – **वर्ष 2021–22**
वर्ष 2022–23
वर्ष 2023–24

नोट :– सभी अभिलेख उपरोक्त क्रमवार संलग्न करें।

संलग्नक – 2

वित्तीय निविदा प्रपत्र

2024 में खाली टिनों की आपूर्ति हेतु निविदा वित्तीय भाव पत्र का प्रारूप

1. **निविदा सूचना का पत्रांकः–**

2. **निविदादाता का नाम व पताः–**

3. **कार्य जिसके लिये निविदा दी गयी :–**

4. **पैकेज (डिपो) का नामः–**

5. **निविदा दर (प्रति टिन समस्त कर सहित) – (अंकों में रू0...)**
   (शब्दों में रू0..)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैने लीसा फसल वर्ष 2024 हेतु कुमाऊँ मण्डल में खाली टिन क्रय की निविदा पृच्छा प्रस्ताव में दी गयी समस्त नियमों/शर्तो तथा विवरणों का भली भांति अध्ययन कर लिया है। मैं निविदा पृच्छा प्रस्ताव में सूचित सभी नियमों निर्देशों व शर्तो से सहमत हूँ, तथा सभी नियमों निर्देशों एवं शर्तो का मैं पूर्णतः पालन करूँगा।

तिथि एवं स्थान

निविदादाता का हस्ताक्षर
नाम एवं पता